सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार— I आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. : 2016 / 356 दर्ज दिनांक : 16.12.2016 / 30.06.1997

मृतक गफूर पुत्र नबी बक्स जाति व्यौपारी साकिन गफूर की ढाणी रोही मौजा सिरसला के खेत खसरा नम्बर 425 व 446 में स्थित है तहसील चूरू

1. श्रीमती जैनब पत्नी गफूर जाति व्यौपारी साकिन गफूर जाति ब्योपारी साकिन गफूर की ढाणी खेत रोही सिरसला
2. सदीक
3. शरीफ
4. जब्बार
5. हकीम
6. अयुब
7. युनस
8. हाजरा
9. जैबू
10. समीम
11. रहीशा
12. जाहीदा

पुत्र —पुत्री गण स्व. गफूर जाति व्यौपारी निवासी गफूर की ढाणी खेत रोही सिरसला व निवासी ख्याली हाल रिहायश अपने—अपने ससुराल

—वादीगण—

बनाम

1. मृतक राजबाई बेवा भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी सिरसला तहसील चूरू
   1 / 1 सायर कंवर बेवा भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी सिरसला तहसील चूरू
   1 / 2 संतोष कंवर पुत्री भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी सिरसला तहसील चूरू
   1 / 3 इन्द्र बाई पुत्री भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी सिरसला तहसील चूरू
   1 / 4 मोहन बाई पुत्री भेपालसिंह जाति राजपूत निवासी सिरसला तहसील चूरू
2. भंवर सिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी सिरसला तहसील चूरू
3. सादूलसिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी सिरसला तहसील चूरू
4. मृतक महावीरसिंह भोपाल सिंह जाति राजपूत निवासी सिरसला तहसील चूरू
   4 / 1 बेवाह महावीर जाति राजपूत निवासी सिरसला तहसील चूरू
5. किशोर सिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी सिरसला तहसील चूरू
6. महेन्द्रसिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी सिरसला तहसील चूरू
7. नेतराम पुत्र नारायणराम जाति जाट साकिन सिरसला
8. तहसीलदार चूरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:45 IST
Reason: SelfAttested

—प्रतिवादीगण—

उपस्थित अधिवक्ता

गफूर बनाम राजबाई आदि
2016 / 356 व 464 / 97
निर्णय दिनांकः–20.04.2026

वादीः–श्री नासिर खां
प्रतिवादी– ललित गौतम
राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188,
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:निर्णयः–

वादी की ओर से नीचे लिखे अनुसार दावा प्रस्तुत है :–

1. यह कि खेत खसरा नम्बर 191 तादादी 44 बीघा 18 बिश्वा रोही मौजा सिरला में स्थित है– जो भोपालसिंह की खातेदारी का है– जो भोपालसिंह की खातेदारी का है– उनकी मृत्युपरांत प्रतिवादीगण नं. 01 ता 06 की खातेदारी में है।
2. यह कि खेत खसरा नम्बर 191 के वर्तमान नम्बर 425, 446, 467 पड़े है– जिनकी तादादी रकबा क्रमशः 37 बीघा 4 बिश्वा, 3 बीघा 11 बिश्वा तथा एक बीघा 09 बिश्वा भूमि पड़े है। जिनके खातेदार प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 है।
3. यह कि मिती माघा सुदी 10 सं. 2020 को वादी ने सामिल खातेदार भोपालसिंह से उसके खेत खसरा नम्बर 191 में से 8 बीघा भूमि 500/– रूपये में खसरी की जिसकी लिखा पढी स्वयं खातेदार भोपालसिंह अपनी खुद कलम से वादी की यही में करके बहवाले वादी कर दी थी और खसरा नम्बर 191 की 8 बीघा भूमि का कब्जा मौके पर जाकर वादी को उसी समय संभला दिया थ। बहीं में इस आठ बीघा भूमि में के आसे–पासे अंकित किये गये थे– उसके अनुसार सींव कायम की जाकर कब्जा सभलाया गया था अतः 2020 से लेकर आज तक अर्थात् सं. 2054 तक लगातार कब्जा एवं काश्त मुझ वादी का ही चला आ रहा है अर्थात् सन् 1962 से 1997 तक बदस्तुत कब्जा वादी का है।
4. यह कि बाद सैटलमेंट गत खसरा नम्बर 191 के नये नक्बर 425, 446, 467 पड़े– जिनका रकबा क्रमशः 37 बीघा 04 बिश्वा, बीघा 11 बिश्वा तथा 01 बीघा 09 बश्वा कायम हुये। तद्नुसार वादी की आठ बीघा भूमि जिसमें आसे–पासे नीचे अंकित है। खसरा नम्बर 425 का तादादी 37 बीघा 09 बिश्वा में से 04 बीघा 09 बिश्वा तथा खसरा नम्बर 446 संपूर्ण अर्थात् 03 बीघा 11 बिश्वा इस प्रकार कुल 08 बीघा भूमि दो खसरा नम्बर 425 / 446 में विभक्त हो गई– इन दोनों खसरा नम्बरान के बीच आसा–पासा खेत खसरा नम्बर 425, 446 वाके रोही सिरसला बकब्जे वादी के इस प्रकार है।

उतर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
खातेदार भापालसिंह का बकाया खेत ख.नं. 425, जो वर्तमान में नेतराम के कब्जे में है– जिसमें विभाजित नम्बर नया 192 गत ख. नं. 583 / 425 है जो 10 बीघा 09 बश्वा है।	मोला बक्श कलाल, का खेत	गफूर वादी का दूसरा खेत	मालसिंह, गुमानसिंह का खेत

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:45 IST
Reason: SelfAttested

5. यह कि सं. 2020 सन् 1962 तक बदस्तूर बिना किसी [illegible] के लगातार उपरोक्त खेत खसरा नम्बर 425, 446 तादादी क्रमशः 04 बीघा 09 बिश्वा त[illegible] 03 बीघा 11 बिश्वा कुल 8 बीघा रोही मौजा सिरसला पर वादी का कब्जा काश्त बदस्तुर होने की वजह से कब्जा मुखलिफाना के आधार पर वादी के खोतदार हो चुका है तथा खसरा संख्या 2020 से वादी इस खेत में ढाणी

बनाकर स्थाई रूप से इसमें रिहशया करता आ रहा है सिमें वादी के मकानात बने हुए हैं– जिनमें सं. 2020 से आज तक वादी मय परिवार बाल बच्चों सहित रहता है।

6. यह कि सं. 2020 तद्नुसार सन् 1962 से लगातार 2054 तद्नुसार सन् 1997 तक बदस्तुर कब्जा एवं काश्त वादी का खुले आम बेरोकटोक चला आ रहा है तथा आज तक खातेदार मे मुझ वादी के खिलाफ कोई बेदखली का कार्यवाही नहीं की। अतः दफा 27 सपठित आर्टिकल 64 अवधि अनिनियम के अन्तर्गत खातेदार के अधिकार मालिकाना समाप्त हो गशे है। तथा वादी कब्जा मुखलिफाना के आधार पर मालिक बन गया है। अतः इसी अमर की उद्घोषणा हेतु यह वाद पेश है।

7. यह कि साबिक खातेदार भोपालिसंह द्वारा लिखित बही हेतु साक्ष्य में ग्राह्य हैं। पूर्व में वादी द्वारा मन्सुखी बैनामा अर्थात् प्रतिवादी सं. 07 क हक में साबिक खातेदार भोपालसिंह द्वारा करवाया गया अवैध बैनामा केन्सीलेसन को दावा राजस्व न्यायालय में पेश किया गया था– जो राजस्व न्यायालय को क्षेत्राध्किार नहीं होने की वजह से तथा वादी की 8 बीघा का बैनामा प्रेगमेन्टेशन ऑफ होल्डिंग की तारीफ में आना मानकर खारीज कर दिया गया था। साि ही वादी को बेदखल करने की डिक्री भी पारित करदी थी जबकि बेदखली का वाद वादी के विरूद्ध थ ही नहीं तथा प्रतिवादी नेतराम का कोई काउन्टर क्लेम या कब्जा प्राप्ति की प्रेरयर ही नहीं थी तथा राजस्व न्यायालय को वाद सुनने का क्षेत्राधिकार ही नहीं था। इसलिए वो डिक्री शुन्य हैं तथा काबिले इगनोर हैं। तथा अब फ्रेगमेंटेशन का कानून बदल गया है। अतः यह निर्णय प्रभावी हो गया है जब राजस्व न्यायालय द्वारा बैनामा केन्सीलशन का दावा जुरिसडिक्सन नहीं होने की वजह से खारिज कद दिया गया तो वादी सिविल न्यायालय में विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत दावा कर दिया जो जैरकार है।

8. यह कि साबिक खातेदार ने अवैध रूप से वादी की जमीन अर्थात् 08 बीघा भूमि जिसको मुझे बेचकर कब्जा संभला चुका था उसी जमीन का फर्जी बैचान प्रतिवादी सं. 07 को कर दिया था– मगर वो खरीदरार होने की वजह से वादी के कब्जे को दखर करना चाहता हैं तथा अवेध डिक्री की आड़ में मुझे बेदखल करना चाहता है अतः प्रतिवादी नं. 07 को पक्षकार सिर्फ दावे का डूसरी प्रेरेर स्थाई निषेधाज्ञा के लिए ही उसे आवश्यक पक्षकार मानकर पक्षकार बनाया गया हैं अन्यथा प्रथम अनुतोष खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु यह अनावश्यक पक्षकार हैं।

चूकि प्रथम वाद मन्सुखी बैनामा था तथा सिचिल न्यायालय में वादी वाद मन्सुखी बैनामा का है मगर अब वादी का कब्जा मुखालिफाना परिपक्व हो चुका हैं। अर्थात् गत 35 वर्षों से लगातार वादी का कब्जा चला आ रहा है जो सर्व विदित बेराक, टोक तथा असली खातेदार के ईल्म में उसमें आंखों के सामने हैं। अतः खातेदारी अधिकारी की घोषणा व आधार कब्जा मुखलिफाना राजस्व न्यायालय की कर सकता हैं अतः वाद राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का ही हैं।

9. यह कि वादी का कब्जा मुखालिफाना 12 वर्ष से अधिक अवधि का हो चुका है तथा खातेदार ने आज तक मुझ वादी के खिलाफ कोई बेदखली की कार्यवाही नहीं की तथा न हीं कब्जे को सिअवे व किया– जबकि वादी क[illegible]री अधिकारों की घोषणा हेतु मुझ वादी को विनाये दावा हासिल हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:45 IST
Reason: SelfAttested

10. यह कि प्रतिवादीगण सं. 01 ता [illegible] कब्जा 12 साल से अधिक का हो चुका है। इसलिए मैं मालि[illegible] तथा तुम्हारी

11. यह कि वादी द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि मे अपने ख[illegible]री मे अंकित हिस्सा 10/131 हिस्सा यानी 0.1264 हैक्टर भूमि सम्पूर्ण भूमि मे से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के जरिये मद सं 1 में अंकित भूमि मे से क्रय कर खातेदारी अर्जित की है वा उसी के मुताबिक वादी का नाम से

नामान्तरकरण दर्ज कर खातेदारी दर्ज गई है जिस पर वादी अन्य सहखातेदारान के साथ संपूर्ण कृषि भूमि मे से खातेदार अंकित चला आ रहा है।

12. यह कि मद सं 1 में अंकित कृषि भूमियो मे से क्रय करने के समय सम्पूर्ण भूमि अकेले प्रतिवादी सं 1 उम्मेदसिंह के खातेदारी वा कब्जा काश्त की भूमि थी प्रतिवादी सं 1 ने अपनी खातेदारी कृषि भूमियो मे से जरिये प्रतिफल प्राप्त कर 10/131 हिस्सा भूमि यानी 0.1264 हैक्टर रोही दूधवामीठा भूमि विक्रय वादी के पक्ष मे कर दिया था तथा प्रतिवादी सं 1 द्वारा मद सं 1 में अंकित समस्त कृषि भूमियो मे से ख न 1021/858 रकबा 0.9358 हैक्टर भूमि मे से अपने राजस्व रिकार्ड में अंकित हिस्सा पर काबिज करवा दिया था उक्त भूमि पर वादी विधिवत रूप से काबिज चला आ रहा है जिस पर वादी द्वारा अपने उपरोक्त भूमि पर कच्चे पक्के निर्माण आदि भी कर रखा है।

13. यह कि मद सं 1 में अंकित कृषि भूमियो मे से क्रय करने के बाद से वादी का अपने खातेदारी में अंकित 10/131 हिस्सा यानी 0.1264 हैक्टर भूमि पर कब्जा वा दखल निर्बाध रूप से चला आ रहा है उक्त भूमि वादी के अकेले वा तन्हा कब्जा काश्त की है जिस पर वादी को कब्जा वा दखल प्रतिवादी सं 1 द्वारा विक्रय करने के बाद से संभला दिया था उसी मुताबिक आज तक वादी काबिज चला आ रहा है परन्तु विक्रय पत्र मे एकल खातेदार द्वारा वादी के कब्जे काश्त वा दखल की भूमि का आसा पासा नही अंकन होने से वादी के खातेदारी वा कब्जा काश्त की कृषि भूमि मद सं 1 में अंकित कृषि भूमियो के साथ संयुक्त रूप से दर्ज हो गई है जिससे आज भी उक्त भूमियो के साथ वादी की भूमि का भी खाता संयुक्त मे दर्ज चला आ रहा है परन्तु वादी क्रय करने के बाद से मौके पर अलग अलग भूमि कब्जा वा दखल मे चली आ रही है जिसके मुताबिक वादी के कब्जा वा दखल मे ख न 1021/858 रकबा 0.9358 हैक्टर मे कब्जा काश्त चला आ रहा है वा वादी द्वारा अपने हिस्से वा कब्जा भी भूमि पर पुख्ता निर्माण वा चारदीवारी कर रखी है वा पुख्ता सींव बनी हुई है जिस भूमि का वादी विभाजन करवाना चाहता है जिसके लिए दावा वादी अदालतवाला मे प्रस्तुत किया जा रहा है।

14. यह कि मद सं 1 अर्जीदावा मे अंकित कृषि भूमि मे से ख न 1021/858 रकबा 0.9358 हैक्टर गांव दूधवामीठा की आबादी भूमि से चिपती हुई स्थित है उक्त खसरा आबादी भूमि से चिपत हुए स्थित खेडा की भूमि है जो रिहायश के रूप मे काम मे आ रही है तथा यह भूमि अत्यन्त कीमती व भविष्य मे आवासीय प्रयोजन मे काम आने वाली भूमि है तथा अन्य कृषि भूमिया दूर वा खेती की कृषि भूमियां है वादी ने प्रतिवादी सं 1 से क्रय करने के बाद से ही अपनी खरीदशुदा भूमि पर निर्माण कर वा अपनी खरीद शुदा भूमि पर सींव वा सीमा चिन्ह वा वादी ने पुख्ता तार पट्टिया लगा रखे है। वा खरीद करने के बाद से आज तक कब्जा वा दखल वादी का चला आ रहा है। कब्जा काश्त दावा के साथ संलग्न नजरी नक्शा क के मुताबिक शांतिपूर्वक वादी का उपरोक्त भूमि के संबंध मे चला आ रहा है। जिसकी प्रति दावा हाजा के साथ संलग्न है।

15. यह कि वादी गरीब वा वृद्ध व्यक्ति है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी मे होने से काश्त व भूमि की किस्म को लेकर विवाद रहता है। [illegible] 3 से 4 ने 1–2 दिन पहले ख न 1021/858 रकबा 0.9358 हैक्टर [illegible] वादी के कब्जे की भूमि पर जबरन पर पट्टियो के टुकड़े वा जबरदस्ती [illegible] करने का प्रयास किया वा कीमती भूमि हड़पने की कोशिश की जिसकी शिकायत वादी ने संबंधित सरपंच पटवार हल्का वा पुलिस थाना मे भी की मगर प्रतिवादीगण 3 से 4 ने जबरदस्ती बिना खातेदार होते हुए भी विवाद करते है इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया है कि अपने हिस्से की खातेदारी भूमि का किस्म को देखते हुए विभाजन करवावे जिसके लिए यह दावा पेश किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:45 IST
Reason: SelfAttested

16. यह कि वादी मद सं 1 मे अंकित कृषि भूमियो मे से ख न 1021/858 रकबा 0.9358 हैक्टर गांव दूधवामीठा मे अपने राजस्व रिकार्ड में अंकित 10/131 हिस्सा यानी 0.1264 हैक्टर भूमि का अपने कब्जा काश्त वा दखल के मुताबिक अपने हिस्से की राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का खाता अलग कायम करवाना चाहता है ताकि भूमि का कब्जा मुताबिक सही विभाजन हो सके जिससे किसी भी पक्ष को काई नुक्शान नहीं होगा तथा इसी हेतु यह विभाजन का दावा पेश किया जा रहा है।

17. यह कि प्रतिवादी सं 1 वा 2 बिना विभाजन के ही गांव से चिपती भूमि के प्लाटो के रूप मे अकेले विक्रय करने पर उतारू है ताकि अजनबी लोगो को कब्जे देकर वादी को उनके हक से वंचित कर दे तथा इसी नीयत से प्रतिवादीगण बेजा हरकत कर रहे है जबकि बिना विभाजन के प्लाट के रूप मे भूमि बेचने का अकेले प्रतिवादीगण को कोई अधिकार हासिल नही है। वादी के कहने व मना करने के बावजूद प्रतिवादीगण ऐसा करने से बाज नही आ रहे है इसलिए प्रतिवादीगण को जरिए डिग्री चिरस्थाई निषेधाज्ञा वर्जित किया जाना आवश्यक है कि वे वादीगण को उसका हिस्सा काश्त करने से ना रोके तथा बिना विभाजन के भूमि को रहन बैय या मुन्तकिल ना करें जिसके लिए भी यह दावा पेश किया जा रहा है।

18. यह कि वादगत कृषि भूमि ऊपर वर्णित किये अनुसार कीमती हो जाने से प्रतिवादी संख्या–1 के मन में लालच आ गया है जो येन केन प्रकारेण कृषि भूमि को बिना विभाजन करवाए ही अकेले बहुमूल्य कोने की कृषि भूमि विक्रय कर बेच कर अजनबी व्यक्तियो को काबिज करना चाहता है वा काबिज होना चाहता है जबकि प्रतिवादी संख्या–1 को बिना विधिवत विभाजन से पूर्व किसी भी विशिष्ट हिस्से पर न तो कानूनन काबिज करा सकता है ना ही उसे विधितः ऐसा कोई अधिकार ही प्राप्त है।

19. यह कि वादीगण ने प्रतिवादीगण सं 1 से 4 को कहा व कहलवाया कि साथ मे चलकर कब्जा काश्त के अनुसार वादगत भूमि का विभाजन करवा लेवे तथा वादी के हिस्से मे मदाखलत बेजा ना करें मगर प्रतिवादीगण टालमटोल करते रहे व आखिर दिनांक 25.04.2025 को प्रतिवादीगण ऐसा करने से साफ इंकार हो गए लिहाजा यही तारीख विनाय मुखास्मत दावा है तथा विनाय दावा वादी को भूमि मजकूर का नियमानुसार खातेदार काश्तकार होने से प्राप्त है।

20. यह कि दावा डिग्री होने की सूरत मे राजस्व अभिलेख मे प्रविष्टियां तहसीलदार महोदय के माध्यम से होनी है इसलिए राजस्थान सरकार को दावा मे तकमीलन पक्षकार प्रतिवादी सं 5 बनाया गया है मगर दावा मे राज्य सरकार के हितो पर प्रतिकूल असर डालने वाला कोई अनुतोष नही चाहा गया है इसलिए दावा पेश करने से पुर्व धारा 80 जा० दी० के नोटिस दिए जाने की आवश्यकता नही है।

21. यह कि निवास स्थान फैरीकेन व वादगत कृषि भूमि अदालतवाला के अधिकारक्षेत्र मे स्थित है इसलिए अदालतवाला को दावा हाजा के श्रवणाधिकार प्राप्त है तथा दावा मुकर्रर शुदा कोर्टफीस रू 4/ पर हर प्रकार से अंदर मियाद प्रस्तुत है ।

अतः दावा हाजा पेश कर निवेदन है कि दावा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण नीचे लिखे अनुसार डिग्री फरमाया जावे :–

(क) जरिए डिग्री कृषि भूमि क्षेत्र विभाजन कृषि भूमि [illegible] न [illegible]21/858 रकबा 0.9358 हैक्टर, ख न 226 रकबा 0.1897 हैक्टर, ख न 227 [illegible] रकबा 0.1897 हैक्टर, वा ख न 229 रकबा 0.1518 हैक्टर कुल किता 5 [illegible] हैक्टर रोही दूधवामीठा तहसील वा जिला चूरू मे से ख न 1021/858 रकबा 0.9358 हैक्टर मे से व[illegible] के 10/131 हिस्सा यानी 0.1264 हैक्टर भूमि का कब्जा काश्त मुताबिक विभाजन किया जाकर व अलग अलग लगान कायम करवाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:45 IST
Reason: SelfAttested

(ख) जरिए डिग्री चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण सं 1 से 4 को वर्जित किया जावे कि उपरोक्त कृषि भूमि मे वादी को उसका 10/131 हिस्सा काश्त करने से ना रोके तथा विभाजन से पूर्व वादगत कृषि भूमि को रहन बैया या मुन्तकिल ना करें वा उसके कब्जा काश्त मे दखल अंदाजी करें।

(ग) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(घ) अन्य न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो या हो जावे वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे। कृपा होगी।

दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 04, 06 पर स्वयं पर तामील होने पर भी उपस्थित नहीं होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 07 की ओर से विरवालसिंह की ओर से वकालतनामा पेश कर प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. पेश की गई। प्रतिवादी संख्या 01, 03, 05 पर विधिवत तामील के बावजूद कोई उपस्थित नहीं ओने से इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया। बहस सुनी गई प्रार्थना पत्र अनुचित होने से अस्वीकार की गई। प्रतिवादी सं. 07 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। पैरोकार तकमील पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं होने से जवाब बंद किया गया।

तनकीयात् कायम की गई जो इस प्रकार है।

1. आया वादी का कब्जा खेत खसरा नम्बर 425 तादादी 04 बीघा 09 बिश्वा तथा खसरा नम्बर 446 तादादी 03 बीघा 11 बिश्वा रोही मौजा सिरसला तहसील चूरू पर लगातार 12 वर्ष से अधिक अवधि का हो जाने की वजह से खातेदारी प्राप्ति का हकदार है।
2. आया डिक्री मुकदमा नम्बर 181/83 दिनांक 14.09.1983 न्यायालय ए.सी.एम. चूरू विादउट जुरिशडिक्शन पारित होने की वजह से शुन्य है। तथा ब मुकाबला अधिकार वादी निष्प्रभावी है।
3. आया प्रतिवादी सं. 01 ता 06 के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा है तथा प्रतिवादी संख्या 07 नेतराम वादगत खेतों का न तो खातेदार ही न काबिज व काश्तकार हो इस न्यायालय द्वारा उन्हें कोर्ट अनुतोष नहीं दिया जा सकता है।
4. आया वादी—प्रतिवादीगण के विरूद्ध चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति का हकदार है।
5. आया वादी का दावा धारा 11 सी.पी.सी. प्रा. न्याय के सिद्धान्तों की वजह से वर्जित होने से चलने योग्य नहीं है।
6. अनुतोष

वादी की ओर से साक्ष्य शपथ—पत्र पेश किये गये प्रतिवादी की ओर से जिरह नहीं किए की गई इसलिए इनकी जिरह बंद की गई।

प्रार्थना—पत्र आर्डर 18 नियम 17 सीपीसी पेश किया गया जिसे अस्वीकार किया गया। मूल विवाद प्रतिवादी संख्या 07 के मध्य होने से प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4, 2, 3, 4/1, 5 एवं 06 को डिलीट किया गया। प्रा. पत्र आदेश 18 नियम 17 सीपीसी के विरूद्ध वादी की जनगरानी राजस्व मण्डल में 4406/11 के निर्णय दिनांक 11.07.2011 पर बहस सुनी गईं वकील वादी का कथन हे कि राजस्व मण्डल की [illegible] सं. 4406/11 के निर्णय दिनांक 11.07.2011 के वादीगण को यहा निर्देश जारी [illegible] कि प्रार्थी 500 कोस्ट पर उपखण्ड न्यायालय चूरू में प्रथम तारीख [illegible] को गवाह वादी से जिरह करने का अवसर दिया जावे। प्रतिवादी द्वारा निर्धारित कोस्ट जमा नहीं करवाने पर साक्ष्य वादी से जिरह का अवसर बंद किया गया। प्रतिवादी ने [illegible] से साक्ष्य लिये गये तथा जिरह द्वारा अधिवक्ता वादी की ओर से की गई। वादी गफूर की फौत होने पर उसके विधिक वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया गया। अधिवक्ता उभय पक्ष को बार—बार अवस दिये जाने पर भी बहस नहीं की गई जिस पर रूचि के अभाव में पत्रावली खारिज की गई। दिनांक 13.12.2016 को पुनः

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:45 IST
Reason: SelfAttested

वाजवे नंबर पर ली गई। वकील वादी की ओर से लिखित बहस पेश की गई। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 07 कर ओर से सूचना दिनांक 30.12.2021 को दी गई कि प्रतिवादी संख्या 07 की फौत दिनांक 28.11.2025 को हो चुकी जिस पर वादी अधिवक्ता को प्रतिवादी संख्या 07 के विधिक वारिसान को रिकॉर्ड पर लिये जाने हेतु निर्देशित किया गया। अधिवक्ता वादी को बार–बार अवसर दिये जाने पर भी विधिक वारिसान को रिकॉर्ड पर लिये जाने की कार्यवाही नहीं की गई जिस पर प्रतिवादी अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 का पेश कर निवेदन किया कि दावा वादी अबैट हो चुका है जिस पर वादी अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना–पत्र पेश कर प्रतिवादी संख्या 07 के विधिक वारिसान को रिकॉर्ड पर लिये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। जिस पर अधिवक्ता उभय पक्ष को दोनों प्रार्थना–पत्रों पर सुना गया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा तत्काल सूचना दिये जाने पर भी प्रतिवादी संख्या 07 के विधिक वारिसान को रिकॉर्ड पर लिये जाने की कार्यवाही नहीं की गई। जिस पर प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए तथा वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अस्वीकार करते हुए दावा वादी प्रतिवादी संख्या 07 की हद तक अबैट करने का आदेश दिया गया। तथा अधिवक्ता उभय पक्ष को सुना गया। वादी अधिवक्ता की ओर से निवेदन किया गया कि मेरी तरफ से लिखित बहस पूर्व में पेश की जा चुकी है। तथा प्रतिवादी अधिवक्ता की ओर से निवेदन किया गया अन्य पक्षकार को डिलिट किया जा चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 07 के खिलाफ दावा अबैट हो चुका है। अतः दावा वादी खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादगत भूमि मूलत खातेदार भोपालसिंह की थी, जिससे वादी के पूर्वज स्व. गफूर ने दिनांक माघ सुदी 10 संवत 2020 (सन् 1962) को विधिवत रूप से 8 बीघा भूमि क्रय की थी तथा उसी समय उक्त भूमि का वास्तविक, भौतिक कब्जा भी वादी को सौंप दिया गया था। उक्त क्रय की पुष्टि लिखित बही (हस्तलिखित दस्तावेज) से होती है, जो साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत है। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वादी का उक्त भूमि पर 1962 से निरंतर, शांतिपूर्ण, खुले एवं निर्विघ्न रूप से कब्जा एवं काश्त चला आ रहा है, जो कि 12 वर्ष से कहीं अधिक अवधि का है। इस प्रकार वादी का कब्जा मुखालिफाना" (adverse possession) के रूप में परिपक्व हो चुका है, जिससे वादी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का विधिक अधिकारी बन गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि बाद में सैटलमेंट के दौरान पुराने खसरा नम्बर 191 के स्थान पर नए खसरा नम्बर 425, 446 एवं 467 आवंटित हुए, जिनमें से वादी की खरीदी हुई 8 बीघा भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 425 एवं 446 में समाहित है, और इन पर आज भी वादी का वास्तविक कब्जा है। वादी द्वारा उक्त भूमि पर ढाणी बनाकर स्थायी निवास भी किया जा रहा है तथा निर्माण कार्य भी किया गया है, जो उसके कब्जे को और अधिक पुष्ट करता है। अधिवक्ता ने यह भी कहा कि प्रतिवादी संख्या 07 (नेतराम) का वादगत भूमि पर कोई वैध अधिकार, शीर्षक या कब्जा नहीं है। तथाकथित बैनामा, जो उसके पक्ष में किया गया, वह अवैध एवं निरर्थक है, क्योंकि जिस भूमि का पूर्व में विक्रय एवं कब्जा वादी को दिया जा चुका था, उसी भूमि का पुनः विक्रय विधिसम्मत नहीं है। अतः ऐसा बैनामा शून्य (अवपक) एवं अप्रभावी है।

पूर्व में पारित डिक्री दिनांक 14.09.1983 (मुकदमा [illegible] 31 / 83) के संबंध में अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वह डिक्री न्यायालय द्वारा बिना अधिकार [illegible] (without jurisdiction) के पारित की गई थी, अतः वह शून्य है तथा विधिक [illegible] में उसका कोई प्रभाव नहीं है और उसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए।

अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि वादी का कब्जा न केवल दीर्घकालीन है बल्कि प्रत्यक्ष, सार्वजनिक एवं प्रतिवादियों की जानकारी में रहा है, फिर भी प्रतिवादियों द्वारा कभी भी विधिक रूप से बेदखली की कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार धारा 27 अवधि अधिनियम एवं अनुच्छेद

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:45 IST
Reason: SelfAttested

64 के तहत मूल खातेदारों के अधिकार समाप्त हो चुके हैं और वादी का अधिकार स्थापित हो गया है।

साथ ही, अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि प्रतिवादीगण वादगत भूमि में अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहे हैं तथा वादी को उसके वैध कब्जे से वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए वादी चिरस्थायी निषेधाज्ञा (permanent injunction) प्राप्त करने का भी अधिकारी है। अतः अधिवक्ता ने न्यायालय से प्रार्थना कि वादी को वादगत भूमि खसरा नम्बर 425 एवं 446 पर कब्जा मुखालिफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार घोषित किया जाए। पूर्व डिक्री दिनांक 14.09.1983 को शून्य एवं अप्रभावी घोषित किया जाए। प्रतिवादीगण को वादी के कब्जे में हस्तक्षेप करने से स्थायी रूप से रोका जाए।

बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत वाद में वादीगण द्वारा खातेदारी अधिकार की घोषणा, कब्जा मुखालिफाना के आधार पर स्वामित्व, डिक्री शून्यता एवं चिरस्थायी निषेधाज्ञा संबंधी अनुतोष प्रार्थित किए गए हैं। अभिलेख का अवलोकन किया गया, साक्ष्य पर विचार किया गया तथा अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रथम दृष्टया यह तथ्य निर्विवाद है कि वाद का मूल विवाद प्रतिवादी संख्या 07 (नेतराम) के साथ संबंधित था। अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 07 की मृत्यु दिनांक 28.11.2025 को हो चुकी है, जिसकी सूचना प्रतिवादी पक्ष द्वारा न्यायालय को समय पर दी गई। इसके पश्चात् वादी को विधिक वारिसान को रिकॉर्ड पर लाने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए, किन्तु वादी द्वारा निर्धारित समयावधि में आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई।

नियम अनुसार, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 4 के अंतर्गत, यदि किसी पक्षकार की मृत्यु के पश्चात उसके विधिक वारिसान को समय पर अभिलेख पर नहीं लाया जाता है, तो उस पक्ष के विरुद्ध वाद अबेट (batement) हो जाता है। वर्तमान प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 07 के विरुद्ध वाद विधिवत रूप से अबेट हो चुका है। यह भी विचारणीय है कि अन्य प्रतिवादीगण को पूर्व में वाद से विलोपित (delete) किया जा चुका है तथा शेष मुख्य विवादित पक्ष (प्रतिवादी संख्या 07) के विरुद्ध वाद अबेट हो जाने से वाद का मूल आधार ही समाप्त हो गया है। ऐसी स्थिति में वाद का गुण—दोष के आधार पर परीक्षण करना विधिसम्मत नहीं है।

निर्णय

उपर्युक्त विवेचन के आधार आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 07 के विरुद्ध वाद अबेट (abatement) घोषित किया जाता है। अन्य प्रतिवादीगण पूर्व में विलोपित किए जा चुके होने से वाद में कोई आवश्यक पक्षकार शेष नहीं रहा है। परिणामस्वरूप, वादी का प्रस्तुत वाद पोषणीय (maintainable) नहीं होने से खारिज किया जाता है पक्षकार अपने—अपने व्यय वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 20 माह अप्रैल सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:45 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

गफूर बनाम राजबाई आदि
2016/356 व 464/97
निर्णय दिनांक:–20.04.2026

सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. : 2016/356 दर्ज दिनांक : 16.12.2016/30.06.1997

मृतक गफूर पुत्र नबी बक्स जाति व्यौपारी साकिन गफूर की ढाणी रोही मौजा सिरसला के खेत खसरा नम्बर 425 व 446 में स्थित है तहसील चूरू

1. श्रीमती जैनब पत्नी गफूर जाति व्यौपारी साकिन गफूर जाति ब्योपारी साकिन गफूर की ढाणी खेत रोही सिरसला
2. सदीक
3. शरीफ
4. जब्बार
5. हकीम
6. अयुब
7. युनस
8. हाजरा
9. जैबू
10. समीम
11. रहीशा
12. जाहीदा

पुत्र –पुत्री गण स्व. गफूर जाति व्यौपारी निवासी गफूर की ढाणी खेत रोही सिरसला व निवासी ख्याली हाल रिहायश अपने–अपने ससुराल

–वादीगण–

बनाम

1. मृतक राजबाई बेवा भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी सिरसला तहसील चूरू
   1/1 सायर कंवर बेवा भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी सिरसला तहसील चूरू
   1/2 संतोष कंवर पुत्री भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी सिरसला तहसील चूरू
   1/3 इन्द्र बाई पुत्री भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी सिरसला तहसील चूरू
   1/4 मोहन बाई पुत्री भेपालसिंह जाति राजपूत निवासी सिरसला तहसील चूरू
2. भंवर सिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी सिरसला तहसील चूरू
3. सादूलसिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी सिरसला तहसील चूरू
4. मृतक महावीरसिंह भोपाल सिंह जाति राजपूत निवासी सिरसला तहसील चूरू
   4/1 बेवाह महावीर जाति राजपूत निवासी सिरसला तहसील चूरू
5. किशोर सिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी सिरसला तहसील चूरू
6. महेन्द्रसिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी सिरसला तहसील चूरू
7. नेतराम पुत्र नारायणराम जाति जाट साकिन सिरसला
8. तहसीलदार चूरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:45 IST
Reason: SelfAttested

–प्रतिवादीगण–

गफूर बनाम राजबाई आदि
2016/356 व 464/97
निर्णय दिनांकः—20.04.2026

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री नासिर खां
प्रतिवादी— ललित गौतम
राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188,
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

—:पर्चा डिक्रीः—

उपर्युक्त विवेचन के आधार आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 07 के विरुद्ध वाद अबेट (abatement) घोषित किया जाता है। अन्य प्रतिवादीगण पूर्व में विलोपित किए जा चुके होने से वाद में कोई आवश्यक पक्षकार शेष नहीं रहा है। परिणामस्वरूप, वादी का प्रस्तुत वाद पोषणीय (maintainable) नहीं होने से खारिज किया जाता है। पक्षकार अपने—अपने व्यय वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 20.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार— I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:45 IST
Reason: SelfAttested